राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प. 6 (298) परि/कर/मु./2015/1027 जयपुर दिनांक :– 15/1/2020

कार्यालय आदेश संख्या.....01/2020

इस विभाग के पूर्व कार्यालय आदेश संख्या 24/96 दि. 02.09.1996 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि अनेक राजकीय विभागों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा कार्यालय उपयोग हेतु निजी वाहनों को अनुबन्ध पर(हायर एण्ड रिवार्ड के आधार पर) लिया जाकर संचालित किया जा रहा है, जो मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्थान मोटरयान नियमों का स्पष्टतः उल्लघंन है।

यह पुनः स्पष्ट किया जाता हैं कि राजस्थान मोटर यान कराधान नियमों के तहत गैर कृषि कार्य हेतु रखे गये ट्रेक्टर्स पर एक बारीय कर की दरें निर्धारित है जबकि कृषि कार्य के उपयोग के लिए ट्रेक्टर ट्रोली कर मुक्त है। इसी प्रकार गैर परिवहन वाहनों एवं परिवहन वाहनों पर एक बारीय कर की अलग–अलग दरें निर्धारित है।

यह संज्ञान में लाया गया है कि विभिन्न नगर निगमों/नगर निकायों एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के कार्यालयों द्वारा कृषि कार्य हेतु रखे गये ट्रेक्टर्स को अनुबंध पर लिया जाकर गैर कृषि कार्य हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। इसी प्रकार आबकारी विभाग के विभिन्न कार्यालयों द्वारा मदिरा परिवहन का कार्य गैर परिवहन वाहनों से करवाया जा रहा है। यह मोटरयान नियमों के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं ऐसे वाहनों द्वारा उचित कर भुगतान नहीं किये जाने के कारण राजकोष को हानि हो रही है।

अतः सभी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा जिन निजी वाहनों एवं गैर परिवहन श्रेणी के वाहनों को अनुबंध के आधार पर सेवा में ले लिया गया है, उन वाहनों को सेवा में लगाये जाने की दिनांक से वाहन के उपयोग के आधार पर देय मोटर वाहन कर की गणना कर एक माह की अवधि में राज्य कोष में जमा करवायें।

उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(राजेश यादव)
प्रमुख शासन सचिव एवं
आयुक्त परिवहन

OfficeOrderHindi

क्रमांक प.20(2)परि./लेखा/एफ.एस.–4/2018–19/ 1028-35 दिनांक :– 15/1/2019

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार।
2. निदेशक कोष एवं लेखा, राज. जयपुर, कृपया समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित करें कि अनुबंध पर लिए गए ऐसे गैर परिवहन श्रेणी के वाहनों के बिल को पारित करने से पूर्व देय मोटर वाहन कर के राजकोष में जमा करने की पुष्टि करें।
3. आयुक्त, आबकारी विभाग, राज. उदयपुर, कृपया अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित करें कि मदिरा परिवहन करने वाले गैर परिवहन वाहनों की कर देयता की जांच करवाकर संबंधित अनुज्ञाधारियों से देय कर की राशि राजकोष में जमा करवाना सुनिश्चित करें।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग एवं मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, कृपया अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अनुबंध पर लिए गए वाहनों की कर देयता की जांच कर देय कर की राशि राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त परिवहन।
6. महालेखाकार, राज. जयपुर।
7. समस्त अपर परिवहन आयुक्त (मुख्यालय)।
8. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी को भेजकर लेख है कि क्षेत्राधिकार में स्थित उपरोक्त कार्यालयो से संमन्वय करते हुये ऐसे निजी श्रेणी के वाहनो के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये बकाया कर की वसूली सुनिश्चित करें।

अपर परिवहन आयुक्त (कर)